REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 6 | MARCH - 2023

पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन

महेन्द्र कुमार पटेल[1] , डॉ. शाहेदा सिद्धीकी[2]
[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]सह–प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद और उसमें महिलाओं को पर्याप्त आरक्षण प्रदान करने के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं की सहभागिता में पर्याप्त विकास हुआ। पंचायतों में जनजातीय महिलाओं की सहभागिता ने उनमें चेतना और जागरूकता का विकास किया और महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित करवाया। अब जनजातीय महिलाएं स्वयं के द्वारा प्राप्त की गई आय का अपनी मर्जी से खर्च कर रही हैं।

मुख्य शब्द – पंचायती राज व्यवस्था, सहभागिता एवं जनजातीय महिला।

प्रस्तावना –

पंचायत राज व्यवस्था द्वारा सामाजिक परिवर्तन आना एक अवश्यम्भावी कल्पना है। स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में कई प्रयास किये गये, जिनमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रयास है। इस संशोधित अधिनियम के माध्यम से जहां एक ओर इन संस्थाओं को वैधानिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर ऐसे समुचित उपबंध किये गये जिसे यह स्वशासन की स्वतंत्र इकाई बनकर सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य कर सके।

महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाओं का यह प्रतिनिधित्व जनजातीय समाज में भी पाया जाता है। जनजातीय समाज में भी महिलाओं की जनसंख्या पुरूष जनसंख्या के लगभग बराबर ही है। लेकिन यदि जनजातीय महिलाओं की 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व तक की राजनीतिक सहभागिता के प्रतिशत को देखा जाये तो वह लगभग नगण्य ही रही है। जनजातीय महिलाओं के राजनीति में सक्रिय न होने के कई मूलभूत कारण हैं। जनजातीय समाज में सक्रिय न होने के कई मूलभूत कारण हैं। जनजातीय समाज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पारस्परिक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के कारण ही संभव नहीं हो पायी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किये गये प्रावधानों के पश्चात पंचायत राज संस्थाओं में कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। इन्हीं आरक्षित एक तिहाई स्थानों में जनजातीय महिलाओं को भी आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है।

विश्लेषण –

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात मध्यप्रदेश में भी इसके अनुरूप राज्य में पंचायत राज कानून बनाया गया और उसमें एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इस एक तिहाई

आरक्षित स्थानों में जनजातीय महिलाओं को भी सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की भांति आरक्षण प्रदान किया गया। पंचायत की तीन पीढ़ी तक यह एक तिहाई आरक्षण लागू रहा और उसमें वृहद स्तर पर जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भर्ती हुई। पंचायतों की चौथी पीढ़ी हेतु वर्ष 2010 के निर्वाचन के पूर्व प्रदेश सरकार ने महिलाओं की बराबरी का अधिकार देते हुए पंचायत राज्य संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को पचास प्रतिशत कर दिया जिसका सीधी लाभ जनजातीय महिलाओं को भी प्राप्त होने लगा।

तालिका क्रमांक 1
त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों में जनजातीय महिला प्रतिनिधित्व, रीवा
वर्ष 2005–2022

क्र.	वर्ष	ग्राम पंचायत स्तर					
		पंच			सरपंच		
		कुल सीट	जनजाति महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत	कुल सीट	जनजाति महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत
1	2005	13168	724	5.49	823	49	5.95
2	2010	13232	1108	8.37	827	73	8.82
3	2015	13232	1103	8.33	827	69	8.34
4	2022	13232	1116	8.43	827	71	8.58

स्रोत – जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला रीवा

प्रस्तुत तालिका में वर्ष 2005 से 2022 के बीच त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों में जनजातीय महिला प्रतिनिधित्व को ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षवार प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य (पंच) हेतु रीवा जिले में कुल 13168 सीटें निर्धारित थी, जिसमें 724 अनुसूचित जनजाति की महिलाएं पंच के रूप में चयनित हुई, जिसमें कुल सीटों के विरूद्ध 5.49 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाएं पंच के पद पर निर्वाचित हुई। वर्ष 2010 में रीवा जिले में वार्ड सदस्यों के 13232 पद निर्वाचन हेतु निश्चित किये गये, जिसमें 1108 अनुसचित जनजाति की महिलाएं वार्ड सदस्य निर्वाचित हुई। निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का प्रतिशत 8.37 रहा। वर्ष 2015 में निर्धारित कुल 13232 वार्ड सदस्यों में से 1103 जनजाति महिलाएं वार्ड सदस्य (पंच) निर्वाचित हुई जो की कुल निर्धारित स्थानों के विरूद्ध निर्वाचित महिलाओं का 8.33 प्रतिशत है। वर्ष 2022 में निर्धारित कुल 13232 वार्ड सदस्यों में से 1116 (8.43 प्रतिशत) जनजाति महिलाएं वार्ड सदस्यों (पंच) के रूप में निर्वाचित हुई।

संविधान के 110वें संशोधन के पश्चात् त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों में महिलाओं को कुल निर्धारित पदों के विरूद्ध 50 प्रतिशत स्थानों में आरक्षण प्रदान करने के बाद अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में वर्ष 2010 के विरूद्ध 2022 में वृद्धि दर्ज की गई किंतु वर्ष 2015 में जनजातीय महिला प्रतिनिधित्व में गिरावट भी पाई गई।

तालिका क्रमांक 2
त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों में जनजातीय महिला प्रतिनिधित्व,
रीवा वर्ष 2005–2022

क्र.	वर्ष	जनपद पंचायत स्तर					
		जनपद सदस्य			जनपद अध्यक्ष		
		कुल सीट	जनजाति महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत	कुल सीट	जनजाति महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत
1	2005	223	13	5.82	09	01	11.11
2	2010	223	21	9.41	09	01	11.11
3	2015	223	19	8.52	09	01	11.11
4	2022	223	23	10.31	09	01	11.11

स्रोत– जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला रीवा

प्रस्तुत तालिका में वर्ष 2005 से 2022 के बीच त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों के जनपद स्तरीय निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला संख्या को वर्षवार दिखाया गया है। वर्ष 2005 में जनपद सदस्य के लिये निर्धारित 223 निर्वाचन स्थानों में कुल 13 (5.82 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति की महिलाएं निर्वाचित हुई। वहीं वर्ष 2010 में जनपद सदस्य के लिए निर्धारित 223 निर्वाचन स्थानों में कुल 21 (9.41 प्रतिशत) जनजातीय वर्ग की महिलाएं निर्वाचित हुई। वर्ष 2015 में कुल निर्धारित पदों के विरूद्ध 19 (8.52 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति की महिलाएं निर्वाचित हुई। वर्ष 2022 में कुल 23 (10.31 प्रतिशत) जनजाति महिलाएं जनपद सदस्य हेतु निर्वाचित हुई। इस तरह वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2015 के जनपद सदस्य निर्वाचन में जनजातीय महिला प्रतिनिधियों की संख्या में मामूली कमी पायी गई लेकिन वर्ष 2022 के जनपद सदस्य चुनावों में चयनित जनजातीय महिला सदस्यों में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 3
त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों में जनजातीय महिला प्रतिनिधित्व,
रीवा, वर्ष 2005–2022

क्र.	वर्ष	जिला पंचायत स्तर		
		जिला पंचायत सदस्य		
		कुल सीट	जनजाति महिला प्रतिनिधि	प्रतिशत
1	2005	32	05	15.62
2	2010	32	06	18.75
3	2015	32	06	18.75
4	2022	32	07	21.87

स्रोत– जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला रीवा

प्रस्तुत तालिका में वर्ष 2005 से वर्ष 2022 के बीच सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावों के जिला पंचायत सदस्य स्तरीय निर्वाचन में निर्वाचित जनजातीय महिला संख्या को प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2005 में निर्धारित कुल 32 निर्वाचन स्थानों में 05 (15.62 प्रतिशत) जनजातीय महिलाएं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई। वर्ष 2010 और 2015 में कुल निर्धारित स्थानों के विरूद्ध प्रत्येक चुनावी वर्ष में 6 (18.75 प्रतिशत) जनजातीय महिला प्रत्येक चुनावी वर्ष में निर्वाचित हुई। वर्ष 2010 और वर्ष 2015 में निर्वाचित जनजातीय महिला सदस्यों की संख्या एक समान ही रही और उनमें वर्षवार कोई भी वृद्धि नहीं पायी गई। किंतु वर्ष 2023 के जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन में कुल निर्धारित 32 निर्वाचन स्थानों के विरूद्ध 07 (21.87 प्रतिशत)

जनजातीय महिलाएं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई। वर्ष 2015 के चुनावों में निर्वाचित जनजातीय महिला सदस्यों की तुलना में वर्ष 2022 में निर्वाचित जनजातीय महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि पायी गई।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली को अपनाया गया। इस प्रणाली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर, जनपद या ब्लाक स्तर और जिला पंचायत स्तर का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान या सरपंच तथा पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है जबकि जनपद स्तर और जिला पंचायत स्तर पर अध्यक्ष पद का चयन अप्रत्यक्ष विधि से तथा जनपद सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। पंचायती राज अधिनियम अन्तर्गत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। इस महिला आरक्षण प्रक्रिया में जनजातीय महिलाओं को भी कोटेशन के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि जनजातीय समाज की महिलाओं में राजनैतिक व प्रशासनिक क्षमता का विकास हो सके। पंचायती राज व्यवस्था में जनजातीय महिलाओं को नेतृत्व में सहभागिता प्राप्त होने के बाद जनजातीय महिलाएं पुरूषों की सत्ताधारिता और नेतृत्व से पृथक होकर स्वयं नेतृत्व की क्षमताओं का विस्तार कर रही हैं। जनजातीय महिलाएं पंचायत व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को या तो स्वयं निष्पादित कर रही हैं या अपनी अन्य महिला मित्रों के सहयोग से सम्बन्धित कार्यों को पूरा कर रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना तथा अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उनके समक्ष रखना उनकी प्रशासनिक व राजनैतिक निपुणता को प्रदर्शित करता है।

संदर्भ –

1. मोदी, अनीता (2009) – पंचायती राज एवं महिला सशक्तीकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर
2. मेहता, चेतन (1996) – महिला एवं कानून, आशीष पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली
3. नारंग, ए.एस. (2004) – भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजलि पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली
4. नेहरू, पं. जवाहर लाल (1965) – सामुदायिक विकास और पंचायती राज, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली
5. राठौर, मधु (2002) – पंचायती राज एवं महिला विकास, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
6. श्रीवास्तव, रानी (1999) – भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, कॉमनवेल्थ पब्लिकेशन, नई दिल्ली
7. यादव, डॉ. किशन (2016) – पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति : एक राजनैतिक अध्ययन, शब्द ब्रह्म, पिअर रिव्यूड रेफ्रेड रिसर्च जर्नल, वाल्यूम–4, इश्यू–11, सितम्बर 2016, पृष्ठ 28–31